# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लोहावट जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- मांगीलाल (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या:- 21/2023

| प्रार्थीगण | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1. कानाराम पुत्र सोनाराम | | 1. तहसीलदार लोहावट |
| 2. उमाराम पुत्र गोरखाराम | | |
| जाति मेघवाल निवासी नयाबेरा | | |
| तहसील लोहावट जिला फलोदी। | | |

**प्रार्थना पत्र धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम**

**उपस्थित :-**

श्री अशोक कुमार कड़वासरा अधिवक्ता प्रार्थीगण।

राज पैराकार।

**निर्णय**

दिनांक :- 10.07.2024

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि - तहसील लोहावट के पटवार मण्डल नयाबेरा के राजस्व ग्राम नयाबेरा में प्रार्थीगण उमाराम व अन्य की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 371/2 रकबा 3.3346 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 372/1 रकबा 6.3374 हैक्टेयर तथा कानाराम व अन्य की भूमि खसरा नम्बर 371 रकबा 3.3346 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 372 रकबा 6.3293 हैक्टेयर भूमि आयी हुई है प्रार्थीगण की उक्त भूमि के कणा माठ खुर्द बुर्द होने एवं सीमांचिन्ह नदारद होने हो गये है निशानात नही होने से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का विकास कार्य नही करवा पा रहे है। इसलिए प्रार्थीगण ने अपनी भूमि के सिमांकन कर पत्थर रूपवाने के लिए निवेदन किया लेकिन हल्का पटवारी ने कहा की पत्थरगढी आदेश के बिना पत्थर नही रूपवा सकते है। इसलिए प्रार्थीगण को माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है। प्रार्थीगण की खातेदारी जमीन की पत्थरगढी नही होने से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में बाई जाने वाली फसल की सुरक्षा नही कर पा रहा है ओर न ही अपनी भूमि का विकास कार्य करवा पा रहा है हर वर्ष बोई जाने वाली फसल को आवारा पशुओ द्वारा नष्ट कर दि जाती है। जिससे मजबुर विवश होकर प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि में बोई जाने वाली फसल की सुरक्षा के लिए पत्थरगढी करवाये जाने का यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की कणा मार्टे पर सीमा चिन्ह को चिरस्थाई करवाने के लिए पत्थर गढ्ढी करवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण का नोटिस तामिल सुदा प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने सिमांकन रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपी पेश की जो शामिल मिसल की गयी।

सहायक कलक्टर
लोहावट जिला फलोदी

Scanned with CamScanner

अधिवक्ता प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया तहसील लोहावट के पटवार मण्डल नयाबेरा के राजस्व ग्राम नयाबेरा के खसरा नम्बर 371/2 रकबा 3.3346 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 372/1 रकबा 6.3374 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 371 रकबा 3.3346 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 372 रकबा 6.3293 हैक्टेयर काश्त भूमि की जमाबन्दी व नक्शा के अवलोकन से उक्त भूमि के प्रार्थीगण रेकॉर्डेड खातेदार है। न्यायालय के विनम्र मतानुसार रेकॉर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश व पत्थरगढी करवाने का अधिकार प्राप्त है। उपरोक्तानुसार विचारण एवं मनन पश्चात प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

**आदेश**

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है तहसीलदार लोहावट को आदेश दिये जाते है कि तहसील लोहावट के पटवार मण्डल नयाबेरा के राजस्व ग्राम नयाबेरा के खसरा नम्बर 371/2 रकबा 3.3346 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 372/1 रकबा 6.3374 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 371 रकबा 3.3346 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 372 रकबा 6.3293 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश व पत्थरगढी के लिए राजस्व टीम गठित कर पडौसी खातेदार को सुचित कर नियमानुसार पैमाईश करवायी जाकर शान्ति व्यवस्था के लिए पुलिस थाना की ईमदाद के साथ पत्थरगढी करवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक ........................................ को सरे इजलास सुनाया गया।

मांगीलाल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, लोहावट
सहायक कलेक्टर
लोहावट जिला फलोदी

Scanned with CamScanner